Implication of Changes in the Environment Impact Assessment (EIA)

Influence of the World Bank

:Presented by :

Ramesh Agrawal

'Jan Chetana

Satyam Kunj, Naya Ganj, Raigarh (C.G.) 496001Ph: +91 9301011022;

Email:ramesh.agrawal@gmail.com

परिचय

इस लेख का उद्देश्य इस अधिनियम् की पैरावाइज समीक्षा करना नही है। हमने इस अधिनियम के व्यापक विपरीत प्रभाव को देखा है और लाखों लोगों की पीड़ा का अनुभव किया है।

इसी अनुभव के आधार पर इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के खोखलेपन को उजागर करने का विनम्र प्रयास इस प्रस्तुतिकरण में किया है।

EIA ..... ?

- पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्तर में सुधार, प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण करने के उद्देश्य से भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रोजेक्टस् की स्थापना अथवा विस्तार पर प्रतिबंध लगाने के, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने **Environment Impact Assessment Notification,2006** विगत 14 सितम्बर से प्रभावशील कर दिया।

इस मूल पवित्र उद्देश्य के विपरीत कुछ ऐसा हो गया है कि लगता है कि यह इ.आइ.ए. , पर्यावरण के नाम पर पर्यावरण के रक्षकों के द्वारा पर्यावरण को समूल नष्ट करने की मंशा का नाम है।

इसे क्यों न कहा जाए .....

ENVIRONMENT IMPAIRMENT ATTEMPT NOTIFICATION 2006

- **अधिनियम् की शुरूवात इस प्रतिबंध के साथ प्रारंभ होती है**

The Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required Construction of New Projects or Activities or the Expansion or Modernization of Existing projects or Activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India ***only after the Prior Environmental Clearance from the Central Government*** *or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority.*

"केन्द्र सरकार अथवा राज्य स्तरीय Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति [Clearance], के पश्चात ही विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना अथवा विस्तार का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

- इस प्रारंभिक और अति महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसकी नींव पर पूरा अधिनियम खड़ा है, उस प्रावधान के उल्लंघन पर की जा सकने वाली कार्यवाही का कहीं उल्लेख नही है।
- किसी प्रकार के दण्ड का कोई प्रावधान पूरे नोटिफिक्केशन में हमें देखने को नही मिला।

शायद सरकार चाहती भी नही कि क्लीयरेंस के चक्कर में प्रोजेक्ट्स लगने में देरी हो। यही कारण है कि प्रोजेक्ट न केवल स्थापित हो जाते हैं बल्कि उनमें उत्पादन भी होने लगता है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक भी ऐसा उद्योग नही है जिसने प्लांट की स्थापना या विस्तार के लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार के क्लीयरेंस का इंतजार किया हो।

और वह भी चोरी-छिपे नही। सरे आम राज्य व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CECB) की जानकारी में। कुछ ऐसे ही उदाहरण यहाँ देना आवश्यक होगा :-

जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने अपने रायगढ़ स्थित स्पंज आयरन प्लांट का विस्तार 10 अगस्त 2005 को MoEF (Ministry of Environment & Forest) से क्लीयरेंस मिलने के बहुत पहले कर लिया था। और विस्तार भी गरीब किसानों की उस खेती जमीन पर जिसका मुआवजा तक उन्हें नही मिला है।
ग्राम कलमी के एक किसान ने हिम्मत कर बिलासपुर हाई कोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे भी दिये लेकिन इसकी भी परवाह न कर काम जारी रखा और कोर्ट को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व वाइस प्रेसीडेंट श्री नवीन जिंदल (कांग्रेस सांसद), तत्कालीन कलेक्टर श्री आर.एस. विश्वकर्मा एवं डॉ. एस.के. राजू व एस.डी.ओ. के खिलाफ कोर्ट की अवमानना
(Contempt of Court) का नोटिस जारी करना पड़ा।

Violators Rewarded by MoEF .....?

जिंदल की ही तमनार, रायगढ़ में कोल माइन्स हैं। दो लाख मिलियन टन (2MTPA) का क्लीयरेंस MoEF ने सन् 1998 में जारी किया था। लेकिन कंपनी ने 2MTPA की निर्धारित स्वीकृति से कहीं ज्यादा कोयले का उत्खनन कर डाला। कंपनी को स्वीकृत प्लान के अनुसार पॉच वर्षो में 13 लाख 50 हजार टन कोयला उत्खनन की स्वीकृति के विरुद्ध लगभग 61 लाख टन कोयला निकाल डाला। कंपनी के इस नियम विरुद्ध अपराध के लिए CECB ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया जो अभी भी विचाराधीन है।

वहीं दूसरी तरफ MoEFउसी समय दिसम्बर 2005 में कंपनी की पर्यावरणीय स्वीकृति 2 MTPA से बढ़ाकर 6 MTPA कर देती है।

यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि JPL रायगढ़ में 1,000 MW का पावर प्लान्ट भी लगा रही है। इसके प्रथम चरण (2x250 MW) की स्वीकृति MoEF ने 1997 में दी थी। इस स्वीकृति के पूर्व EIA Notification 1994 में अप्रैल 1994 को Amendment कर जन-सुनवाई करवाना आवश्यक किया जा चूका था।

लेकिन MoEF ने बिना जन-सुनवाई किए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी कर दी। पॉच साल के अंदर प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ हो जाना चाहिए था। कंपनी काम प्रारंभ नही कर सकी

MoEF ने सन् 2004 में इस शून्य हो चूकी पर्यावरणीय स्वीकृति को वैधता (Revalidate) प्रदान कर दी।

यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि JPL रायगढ़ में 1,000 MW का पावर प्लान्ट भी लगा रही है। इसके प्रथम चरण (2x250 MW) की स्वीकृति MoEF ने 1997 में दी थी। इस स्वीकृति के पूर्व EIA Notification 1994 में अप्रैल 1994 को Amendment कर जन-सुनवाई करवाना आवश्यक किया जा चूका था।

लेकिन MoEF ने बिना जन-सुनवाई किए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी कर दी। पॉच साल के अंदर प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ हो जाना चाहिए था। कंपनी काम प्रारंभ नही कर सकी

MoEF ने सन् 2004 में इस शून्य हो चूकी पर्यावरणीय स्वीकृति को वैधता (Revalidate) प्रदान कर दी।

इसी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण (2X250 MW) की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 07 अक्टुबर 2005 को जन सुनवाई का आयोजन किया गया।

स्थानीय लोगों, स्वयं सेवी संगठनों के साथ-साथ सुश्री मेधा पाटकर ने अनेक अनियमितताओं का हवाला देकर जन सुनवाई रोकने की मांग की। लेकिन जन सुनवाई से लेकर क्लीयरेंस जारी होने तक बार-बार नियम विरुद्ध होने के कारण MoEF से स्वीकृति न देने की मांग की जाती रही।

Medha demanding postpone hearing as boycott by panel members

लेकिन 08 जून 2006 को 1,000 MW Power Plant के दूसरे चरण ; 2X250 MW) की स्वीकृति MoEF द्वारा दे दी गई।

जिंदल ग्रुप की ही एक अन्य
कंपनी नालवा स्पंज आयरन
लिमिटेड के तराईमाल रायगढ़
स्थित स्पंज आयरन प्लांट की
विस्तार परियोजना के लिए MoEF
ने अनेक गंभीर अनियमितताओं के
बावजूद 24 जनवरी 2007 को
Clearance जारी कर दिया।

जिंदल ग्रुप की ही सही मायने में **Sister Concern** , मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड ने भी जन सुनवाई के बहुत पहले नहरपाली रायगढ़ स्थित इन्टिग्रेटेड स्टील प्लांट के विस्तार का अधिकांश काम पूरा कर लिया है। 04 अगस्त 2007 की जन सुनवाई एक बार स्थगित हो चूकी है।

- Shri Sandeep Jajodiya, Exec. Vice President & MD of Monnet, is brother in law of Naveen Jindal

महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिक्केशन लिमिटेड (Mahavir Energy & Coal Benification Ltd.) ने भी परंपरा का पूरा पालन करते हुए रायगढ़ के भेंगारी गॉव में 12 मेगावाट के पावर प्लांट का अधिकांश काम पूरा कर लिया है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु इनके आवेदन पर इस 11 सितम्बर 2007 को MoEF की एक्सपर्ट कमेटी ने विचार किया है। CECB ने इस 31 अगस्त 2007 को नोटिस थमाकर अपने कर्तव्य की खानापूर्ति कर ली। मामले में अभी विचार हुआ नही, TORs निर्धारित हुए नही, EIA रिपोर्ट बने नही, जन सुनवाई हुई नही,

मगर काम चालू आहे .....

यही हाल इन्ड सिन्जी लिमिटेड कोटमार रायगढ़ ने भी MoEF स्वीकृति मिलने का इंतजार नही किया। 09 दिसम्बर 2005 को भारी हंगामे व आपत्तियों के बावजूद 14 दिसम्बर 2006 को स्वीकृति दे दी गई। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व विस्तार कार्य प्रारंभ करने के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए CECB ने स्वीकृति मिलने तक इंतजार किया और उसके तुरंत बाद 30/12/2006 को न्यायालय में केस दायर किया।

जायसवाल निक्को लिमिटेड Jayaswals Neco Ltd. – इनकी भी रायगढ़ में पहले से एक अन्डर ग्राउन्ड कोल माइंस संचालित है। इस 25 अगस्त 2007 को जन सुनवाई के समय यह बात सामने आई कि कंपनी अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग के साथ–साथ बार्जीखोल माइंस में ओपन कास्ट माइनिंग भी बगैर स्वीकृति के कर रही है। कंपनी का कहना है कि उनके पास ओपन कास्ट कोल माइनिंग की स्वीकृति है मगर क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी श्री आर.के. शर्मा CECB रायगढ़ ने स्वीकार किया कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नही है।

नोटिफिकेशन के इस प्रारंभिक प्रावधान के बाद क्लीयरेंस या स्वीकृति लेने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह प्रक्रिया चार चरणों (Stages) में पूरी होगी।

1.Screening
2.Scoping
3.Public Consultation
4.Appraisal

Stage 1. Screening

सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स को 'A' 'B' (B1-B2) श्रेणी में विभाजित किया गया है । राज्य स्तर पर गठित Expert Appraisal Committee (SEAC) किसी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन प्राप्त होने पर यह निर्धारित करेगी कि प्रस्तुत प्रोजेक्ट B1 या B2 श्रेणी में आयेगा। यदि कमेटी समझती है आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के अलावा भी और पर्यावरणीय अध्ययन (Environmental Studies) की आवश्यकता है, तब यह प्रोजेक्ट B1 श्रेणी में आयेगा और आवेदनकर्ता को Environment Impact Assessment (EIA) रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाएगा बाकी सभी प्रोजेक्ट B2 श्रेणी में आयेगें। एक साल बीत जाने के बाद भी MoEF ऐसे दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी नही कर पाया है जिसके आधार पर SEAC प्रोजेक्ट्स का B1 या B2 श्रेणी में निर्धारण कर सके। इससे साफ जाहिर होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा बिना तैयारी के हड़बड़ी में नोटिफिक्केशन 2006 लाया गया है।

Stage 2 Scoping

इस प्रक्रिया के द्वारा EAC या SEAC, EIA रिपोर्ट तैयार करने हेतु Detail & Comprehensive Terms of Reference (TORs) निर्धारित करेगी और इन्हीं TORs के अनुसार परियोजना के लिए EIA रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

इस प्रक्रिया की एक सबसे बड़ी खामी जो हमें नजर आयी वह है, क्लियरेंस देने का रास्ता। Top to Bottom & Bottom to Top

- C के क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए आवेदन सबसे पहले Top A के पास जायेगा। जिसके पास C के बारे में कोई जानकारी नही है।
- MoEF कंपनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी को ही सही मानकर TORs निर्धारित कर देगी।
- इस TORs के आधार पर EIA रिपोर्ट तैयार कर कंपनी B - SPCB को जन सुनवाई के लिए आवेदन करेगी।
- B 'C' को जन सुनवाई करवाने के लिए आदेश देगा। 'C' जन सुनवाई करवाकर 'B' को प्रेषित कर देगा। और 'B' यथावत फिर A को।
- C के क्षेत्राधिकार में कंपनी क्या-क्या गुल खिला रही है A को नही मालूम। जबकि C के पास ऐसी जानकारियॉ हो सकती है जो A के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।

एक उदाहरण :

- A ने मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट प्रोजेक्ट के लिए TORs निर्धारित कर Scoping का काम पूरा कर लिया। जबकि कंपनी इस अधिनियम के प्रारंभिक प्रतिबंध (No Construction Prior to EC) का गंभीर उल्लंघन कर चूकी थी।
- C के द्वारा कंपनी के विरूद्ध कोर्ट में केस किया हुआ है। लेकिन ये जानकारियॉ A (MoEF) के पास नही थी (ये हमारा मानना है) हो सकता है इस जानकारी के रहते MoEF कंपनी के आवेदन को ही अस्वीकार कर देती ।
- C और A के मध्य संवाद नही होने के कारण यह सब घटित हुआ। बहरहाल जन सुनवाई स्थगित हो चूकी है। C ने B को स्थिति से अवगत करा दिया है। B ने आगे क्या कार्यवाही की इसकी जानकारी हमको नही है।
- क्या B-A को सारी स्थितियों से अवगत कराएगा ?
- A इस पर क्या कार्यवाही करेगा ?

ऐसे अनेक प्रश्न है जिनका नोटिफिकेशन में समाधान नही है। यहॉ दो मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है

1.ई.आई.ए. रिपोर्ट

2.ई.ए.सी. या एस.ई.ए.सी. द्वारा TORs निर्धारित करने की

ई.आई.ए. रिपोर्ट (Environment Impact Assessment)

किसी प्रोजेक्ट के लगने से पूर्व एवं लगने के बाद पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करना होता है और विपरीत प्रभावों से कैसे निपटा जायेगा इसके उपाय प्रस्तावित किये जाते हैं। हमारी नजर में यह रिपोर्ट '**काटो-चिपकाओं**' (Cut & Paste) का शानदार धोखाधड़ी का खेल है। नम्बर एक तो यह रिपोर्ट कंपनी अपने खर्च पर किसी कन्सलटेंसी एजेंसी से तैयार करवाती है। रिपोर्ट की विश्वसनीयता तो यही संदिग्ध हो जाती है।

Dr. Jayant Moitra, M.D. of EMTRC Consultants Pvt Ltd, Delhi का कहना है " हमारा काम **MoEF** द्वारा निर्धारित दायरे में रहकर काम करना है। उन्होने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि ताजमहल **Notified Monument** है, इसका जिक करना हमारी मजबूरी है लेकिन कुतुब मीनार सरकार द्वारा नोटिफ्राईड नही है । सन् 2004 में बनी **EIA** में 1991 की जनसंख्या लिखे जाने पर श्री मोइत्रा का कहना था कि कंपनी ने हमें जो डाटा उपलब्ध करवाए, वैसा ही हमने लिखा है।

इस EIA के पहले भी इन्ही कंसलटेंट ने जिंदल के लिए 4 बार और EIA बनाई है। (Source www.emtrc.com) इस संभावना से इंकार नही किया जा सकता कि किसी पुरानी EIA से कट कर नई में पेस्ट कर दिया गया हो।

इस प्रकार एक 200-250 पेज की मोटी सी किताब बनाकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के नाम पर MoEF को सौप दी जाती है। आज भी किसी जमाने के बनाए स्टैण्डर्ड के अनुसार केवल कार्बन, नाइट्रोजन के आक्साइड्स एवं **SPM (CO, NOx, SPM)** का ही अध्ययन करना आवश्यक है, जबकि इनसे कहीं ज्यादा घातक एवं पर्यावरण को दूषित करने वाले अन्य तत्वों एवं **Heavy Metals** जैसे **Chromium, Manganese, Zinc, Nickel** आदि का अध्ययन ही नही किया जाता जिनसे दमा एवं केंसर जैसी गंभीर प्रकृति की बिमारियॉ हो सकती है।

अब बारी आती है **MoEF** की एक्सपर्ट कमेटी **(EAC)** की तथाकथित बारीक एवं गहन जॉच की। परियोजना से संबंधित इस कमेटी की बैठक महिने में एक बार होती है। और इस एक या दो दिवसीय बैठक में लगभग 30–35 या 70–75 प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट होती है। इसके बाद आश्चर्यजनक फूर्ति दिखाते हुए प्रोजेक्ट्स को निपटा दिया जाता है।

अगर लंच चाय–पानी का समय निकाल दिया जाए तो शाम तक अधिकतम् 06 घंटे कमेटी को मिलते है, 32 प्रोजेक्ट के लिए। प्रति प्रोजेक्ट लगभग 10 मिनट। अब 10 मिनट में 200–250 पेज की रिपोर्ट की कैसी गहन छानबीन होती होगी, इसकी कल्पना हम आसानी से कर सकते हैं। कभी–कभी इस 10 मिनट में उद्योगपतियों द्वारा अपने प्रस्तावित उद्योग का प्रजन्टेशन **(Presentation)** भी शामिल होता है। उद्योगपति इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा भी उठते हैं ।

अभी हाल में मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड ने रायगढ़ में अपने प्रस्तावित 1.7 मिलियन टन इंटीग्रेटेड इस्पात उद्योग की 3-4 साल पुरानी रिपोर्ट मिनिस्ट्री से पास करवा ली। यह रिपोर्ट तैयार की थी दिल्ली की ही एक कन्सलटेंसी एजेंसी मीन-मेक कन्सलटेंसी एजेंसी प्रा. लिमि. ने। जिस समय रिपोर्ट तैयार की गई होगी उस समय यह उद्योग वास्तव में प्रस्तावित रहा होगा। लेकिन कंसलटेंसी एजेंसी की क्या गलती अगर कंपनी ने इस बीच 3 लाख टन का स्पंज आयरन प्लांट चालू भी कर दिया। अपने लगभग आधे बन गये प्लांट की शानदार तस्वीर भी कंसलटेंसी एजेंसी को दे दी और उन्होनें यह फोटो अपनी 2004 में बनी पुरानी रिपोर्ट के बाहर पेज (Front Page) में लगाकर, थोड़ी-मोड़ी पॉलिस कर MoEF को सौंप दी। पूरी रिपोर्ट न तो कंसलटेंसी एजेंसी ने पढ़ने की जहमत उठाई, न MoEF ने, न SPCB ने न Regional Office ने और तो और कंपनी ने भी नही।

जन चेतना द्वारा साधारण सा जबाब कि " रिपोर्ट प्रस्तावित उद्योग की है या वर्तमान उद्योग के विस्तार की " का जबाब कंपनी नही दे सकी और स्वीकार किया कि रिपोर्ट में गलतियॉ हैं और विवश होकर बेमन से प्रशासन ने जन सुनवाई कैंसिल कर दी। यह शायद पहला अवसर है, जब लोगों ने EIA Report को सिरे से खारिज कर जन सुनवाई कैंसिल करवा दी।

Monnet Ispat & Energy Limited

EXECUTIVE SUMMARY

OF

RAPID ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

AND

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

FOR

17,00,000 TONNES INTEGRATED STEEL COMPLEX

AT

VILL. NAHARPALI,

DIST. RAIGARH, CHHATTISGARH

Prepared by:

MIN MEC CONSULTANCY PVT. LTD.

A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi – 110030

Ph: 29534777, 29532236, 29535891; Fax:91-11-29532568

Email: min_mec@usa.com; Website : http://www.minmec.co.in

An ISO 9001:2000 approved company

Stage 3 जन सुनवाई Public Consultation:

- सर्वविवादित एवं महत्वपूर्ण एक ऐसी प्रकिया है जिसके द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में दो प्रकार के व्यक्तियों के विचार-चिंता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है :-

- स्थानीय प्रभावित व्यक्ति
- ऐसे अन्य लोग जिनका परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव में न्याय संगत आधार है।

यह एक ऐसा प्रावधान है जिसकी व्याख्या अधिकारी अपनी सुविधा एवं सोंच के अनुसार करते हैं। न तो स्पष्ट रूप से **स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों** को परिभाषित किया गया है और न **अन्य व्यक्तियों** को।

दूसरा शब्द है **प्रभावित**।

प्रभावित कौन – वो जिनकी जमीन परियोजना में ली जा रही है या वो, जो प्रदूषण की चपेट में आयेगें? इन शब्दों की व्याख्या इस नोटिफिकेशन के निर्माणकर्ता सदस्य ही बता सकते हैं। दूसरी श्रेणी में आतें हैं **अन्य लोग** । इसकी परिभाषा भी हमारी समझ से बाहर की बात है।

अहम् सवाल यह है कि स्थानीय एवं अन्य व्यक्तियों तक यह प्रकिया सीमित क्यों? क्या किसी उद्योग द्वारा उत्पन्न प्रदूषण मात्र 7-10 कि.मी. तक सीमित रहेगा? ऐसी कौन सी तकनीक उद्योग प्रयोग करेगा जिससे हवा में शामिल घातक प्रदूषणकारी तत्व एक निश्चित दूरी के बाद फिल्टर हो जायेगें और इसके आगे नही जायेगें? ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा नदी नालों में छोड़े गये दूषित जल रास्ते में पड़ने वाले सभी सतही (Surface Water) एवं भू-गर्भीय (Ground Water) जल को प्रभावित नही करेगा? ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व के लिए एक चिंता एवं चुनौती का विषय बन गया है। प्रदूषण चाहे वह हवा का हो या पानी का, किसी न किसी रूप में यह पूरे विश्व को प्रभावित करता है। फिर यह प्रकिया स्थानीय एवं अन्य लोगों तक ही सीमित क्यों?

Stage 3-(ii) (a)-

- जन सुनवाई परियोजना स्थल पर या उसके निकटतम स्थान पर जिलावार होगी। यहाँ फिर से भ्रम पैदा होता है, **नजदीक** (Close Proximity) शब्द से। हमारे अनुभव में एक भी जन सुनवाई परियोजना स्थल पर नही हुई। कारण स्पष्ट है कि अधिकारी अच्छी तरह जानते है जिस प्रस्तावित परियोजना के लिए जन सुनवाई वे करवा रहें हैं, वह प्रस्तावित न होकर स्थापित हो चूकी होती है या कभी-कभी उत्पादन भी प्रारंभ हो चूका होता है। रहा सवाल जिलावार सुनवाई का तो यहाँ भी भ्रम की स्थिति है। जिंदल के पावर प्लांट के लिए तमनार में जन सुनवाई हुई, जहाँ से उड़ीसा मात्र 3-4 कि.मी. है वहाँ के लोगों को कोई जानकारी नही दी गई और न ही उनको बुलाया गया। न तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने उनकी चिंता की और न ही उड़ीसा बोर्ड ने। यह न केवल EPA Act 1986 का उल्लंघन है बल्कि उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार (Freedom of Expression) का भी हनन है।

Stage 3-(iv)

- जन सुनवाई हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर SPCB जन सुनवाई करवाकर रिपोर्ट संबंधित नियंत्रक अधिकारी को भेजना जरूरी होगा। जायसवाल निक्को लिमिटेड की कोल माइंस के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के 90 दिनों के बाद मीलूपारा तमनार रायगढ़ में बोर्ड ने जन सुनवाई इस 25 अगस्त 07 को करवाई। किस नियम के तहत तीन महिने बाद जन सुनवाई कराई गई यह न तो बोर्ड बता रहा है और न MoEF.

Stage 3 (v)

- *अमुक-अमुक कारणों से जन सुनवाई कराना संभव नही है। तब जन सुनवाई की आवश्यकता नही होगी। सारा मामला खत्म। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का नोटिफाईड मौका।*

- *जन सुनवाई की प्रक्रिया* Appendix (iv)-

- *इस नोटिफिकेशन का सबसे विवादित एवं कपट प्रावधान*

कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान

- 2.1 आवेदक उस राज्य के बोर्ड (SPCB) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा जिनके अधिकार क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रस्तावित है यदि प्रोजेक्ट एक से अधिक राज्यों में स्थापित होने वाला है तब प्रत्येक राज्य बोर्ड अलग-अलग जन सुनवाई करेगा। प्रश्न उठता है यदि प्रोजेक्ट अर्न्तराज्यीय सीमा (Inter State Border) के पास लगा हो तब क्या एक ही राज्य में जन सुनवाई करवाना उस राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन नही है जो अन्य राज्य में मात्र 1-2 कि.मी. पर स्थित है।
- इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने जिंदल के 300 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की जन सुनवाई में 04 अगस्त 07 को देखा। यह प्रस्तावित प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में तमनार ब्लाक में जिस स्थान पर लगना है वहॉ से उड़ीसा राज्य की सीमा मात्र 2-3 कि.मी. है। नियमानुसार प्रोजेक्ट स्थल के 10 कि.मी. की परिधि में पर्यावरणीय अध्ययन किया जाना जरूरी है लेकिन EIA रिपोर्ट तैयार करने वाली कंसलटेंट एजेंसी मिन-मेक कंसलटेंसी प्रा.लिमि. ने उड़ीसा के 45 गॉव में कोई पर्यावरणीय अध्ययन नही किया और न ही इन प्रभावित लोगों को जन सुनवाई में शामिल करने का कोई प्रयत्न छ.ग. बोर्ड ने किया। उड़ीसा बोर्ड के समक्ष जिंदल द्वारा न तो जन सुनवाई के लिए आवेदन किया और न ही बोर्ड ने अपने 45 गॉव की कोई चिंता की।

- सार रूप में कहा जाए तो जन सुनवाई का मकसद ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट पर प्रजातंत्र की मोहर लगवाना होता है। जन सुनवाई का यह प्रावधान इस नोटिफिक्केशन का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक धोखा है।
- आप एक ऐसी पूर्णतया तकनीकी रिपोर्ट (वो भी अंग्रेजी भाषा में) पर जनता की राय मांगते हैं जो गॉव के अनपढ़ व्यक्ति तो क्या अच्छे खासे पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति की भी समझ से बाहर की चीज है। केवल वो ही कुछ व्यक्ति अथवा संस्थाएँ जिनकी Environment Engineering में दखल है
- इस EIA पर समीक्षा दे सकने में समर्थ हो सकते हैं। और वो भी रिपोर्ट में दिये गये आकड़ों के आधार पर। रिपोर्ट में दिये गये आंकड़े कितने सही हैं इसकी सत्यता या तो स्वयं रिपोर्ट बनाने वाला जानता है या फिर भगवान। अगर आपकी नियत साफ है, तो क्यों नही वनों से संबंधित जानकारी वन विभाग से, जमीन से संबंधित जानकारी राजस्व विभाग से और जल से संबंधित जानकारी जल संसाधन विभाग से सत्यापित की जाती।
- आप चाहते हैं कि गॉव का एक निर्धन किसान अपनी रोजी-रोटी छोड़कर इन विभागों के चक्कर लगाकर पता लगाए कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट वन भूमि से कुछ कि. मी. दूर नही बल्कि वन भूमि पर ही स्थापित है। वो ये पता करें कि अमुक नदी-नाला प्रोजेक्ट से कुछ दूरी पर नही बल्कि प्रोजेक्ट स्थल के बिलकुल पास या उसके अंदर बह रहा है। ऐसे अनेक तथ्यों का समावेश इस EIA में होता है जिनकी पुष्टि तब तक नही हो सकती जब तक कि एक सामानान्तर (Parallel) रिपोर्ट तैयार न करवाई जाए। यह अत्यधिक खर्चीला काम आम जनता के बस की बात तो बिलकुल नही है ।

- ऐसे अनेक प्रश्न है जिनका जबाब आज किसी के पास नही है हमने जिंदल के विश्व में सबसे बड़े स्पंज आयरन प्लांट के विस्तार की वो ऐतिहासिक जन सुनवाई भी देखी है जिसमें हजारों लोगों ने एक सिरे से इस विस्तार परियोजना को नकार दिया। पर्यावरण विशेषज्ञ की समीक्षा रिपोर्ट भी पेश की जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि जिंदल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनेक भ्रामक जानकारीयों से भरी है एवं पर्यावरण का जो आंकलन किया गया है वह आधारहीन है। विस्तार परियोजना से होने वाले प्रदूषण को बहुत कम कर आंका गया है।

- MoEF ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर जॉच करने रायगढ़ भेजने की औपचारिकता भी की। इस कमेटी के दौरे की जिले के कलेक्टर तक को भी जानकारी नही थी। सब ठीक-ठाक होने का पहले से तैयार सर्टिफिकेट इस कमेटी ने मिनिस्ट्री को सौप दिया। इस कमेटी के सैर-सपाटे पर हुए खर्च की जानकारी आज तक मिनिस्ट्री ने हमको नही दी है।

Stage 4 Appraisal (*नाट्क का अंतिम चरण*)

- *जन सुनवाई के बाद आवेदक कंपनी प्राप्त सुझावों, विचारों को अभी तक ड्राफ्ट* EIA *रिपोर्ट में शामिल कर उनका निराकरण कर अंतिम* EIA *रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष रखेगी। जहॉ विस्तृत बारीकी एवं पूरी पारदर्शिता के साथ सुक्ष्म जॉच होगी। आवेदक कंपनी को भी स्पष्टीकरण एवं अपना पक्ष रखने के लिए सादर निमंत्रित किया जायेगा।*

यहॉ दो बातें महत्वपूर्ण है –

- क्या 10 मिनट में 200-250 पेज की रिपोर्ट की जॉच संभव है और क्या कमेटी के पास इतना समय होगा कि लोगों द्वारा उठाए गये मुद्दों को समझना तो दूर पढ़ना भी संभव है।

- पारदर्शिता (Transperncy) – पारदर्शिता के लिए कंपनी को ही क्यों बुलाया जाना चाहिए, उन लोगों को क्यों नही जिन्होनें अपने जीवन-मरण से संबंधित गंभीर आपत्तियॉ उठाई हैं। और जब एक ही पक्ष को सुनकर निर्णय करना है तो पारदर्शिता का सवाल ही कहॉ पैदा होता है।

  इसी प्रावधान में आगे लिखा है सब बातों को ध्यान में रखकर वह कमेटी, रेग्यूलेटरी अर्थार्टी को क्लीयरेंस के लिए या तो अनुमोदन करेगी या आवेदन पत्र निरस्त करेगी। सन् 1994 से लेकर अभी तक हमारी जानकारी में तो क्लीयरेंस ही दिया गया है एक-आध केस में कमेटी ने कंपनी से संतुष्ट न होकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया हो तो इसकी जानकारी नही है। वैसे हर छोटी-बड़ी कंपनी में अलग से एक **खुश रखो विभाग** (PRO) अलग से रहता है। जिसका काम ही असंतुष्टों को संतुष्ट रखना, खुश रखना होता है।

(v) Delibrate Concealment)

- अगर किसी कंपनी ने जान–बुझ कर जानकारी छुपा कर या गलत डाटा देकर मिनिस्ट्री से क्लीयरेंस ले लिया हो तो उसका क्लीयरेंस कैंसिल कर दिया जायेगा। लेकिन इसके पहले प्राकृतिक न्याय (Natural Justic) के सिद्धांत का पालन करते हुए कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा। ध्यान देने की बात है कि गलत जानकारी देने की बात मिनिस्ट्री को मालूम कैसे होगी? हमारी जानकारी में MoEF में ऐसे किसी विभाग की स्थापना नही है जो कंपनियों द्वारा दिये गए तथ्यों की सत्यता की जॉच करें अगर मिनिस्ट्री को जानकारी होगी तो ऐसे किसी खार खाए पर्यावरण प्रेमी (Activist) से या सब कुछ लुटा चूके प्रभावित व्यक्ति से। इन परिस्थितियों में केवल कंपनी को सुनकर फैसला करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप तो बिलकुल नही कहा जा सकता।

अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति का स्वीकार या अस्वीकार होना

यदि Regulatory Athourity प्रोजेक्ट के स्वीकार अथवा अस्वीकार होने की सूचना निर्धारित समय-सीमा में आवेदक कंपनी को नही दे पाता है तो यह मान लिया जायेगा कि कंपनी को क्लीयरेंस मिल गया है और उसी के अनुसार अपना काम प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस एक प्रावधान ने पूरे नोटिफिकेशन के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है एवं इसके बनाने वाले की मानसिकता साफ जाहिर होती है कि पूर्व या अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रतिबंध महज एक दिखावा है एवं सरकार पर्यावरण के मामले में बिलकुल भी गंभीर नही है।

इस तरह अघोषित स्वीकृति के आधार पर किसी प्रोजेक्ट को अपने मनमानी तरीके से लगाने एवं चलाने देना कितना न्याय संगत है इस बात पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।

Post Environmental Clearance Monitoring

- इस प्रावधान द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ आरोपित शर्तो के परिपालन में हर छः महिने में Compliance Report देना अनिवार्य किया गया है। ये शर्ते पहले भी थी लेकिन हमारा अनुभव है कि इन शर्तो का पालन कभी नही होता और न ही पालन करवाने में संबंधित विभाग दिलचस्पी लेता है। एक सेम्पल के रूप में हमने जिंदल ग्रुप के रायगढ़ में स्थापित प्रोजेक्ट्स की पोस्ट कम्पलायंस रिपोर्ट मिनिस्ट्री से मांगी।

हमें दी गई जानकारी

S.No.	Project	Clearance Date	6 Monthly Compliance Report Submitted by Company	Monitoring/ Inspection by RO Bhopal of MoEF	Report sent to MoEF Delhi
1.	2x275 MW* TPP I Stage Jindal Power Ltd.(*2x250)	24.09.1997	06.11.1997	09.07.2004	Information not Available
2.	Opencast Coal Mines, Jindal Strips Ltd.	15.12.1998	20.04.2001, 26.07.2004	20.04.2000 & 25.01.02	Information not Available
3.	110 MW Captive Power Plant Jindal Steel & Power Ltd.	17.08.2001	13.01.2002, 11.03.2005	24-25 Jan. 2002 & 29.01.2004	Information not Available
4.	Expansion Project Jindal Steel & Power Ltd.	04.01.2002	02.03.2002, 15.09.2003	24-25 Jan. 2002 & 29.01.2004	Information not Available
5.	Expansion Project Jindal Steel & Power Ltd.	03.08.2004	Information not Available	26.01.2005	***Did MoEF consider this report for grant of next expansion on 10.08.2005?***
6.	Opencast Coal Mines, Jindal Power Ltd.	22.09.2004	17.12.2004	Information not Available	Information not Available
7.	Expansion Project Jindal Steel & Power Ltd.	10.08.2005	Information not Available	Information not Available	*Did MoEF consider Inspection report dated 26.01.2005 by Regional office for grant of this expansion?*
8.	Expansion of Opencast Coal Mines, Jindal Steel & Power Ltd	06.12.2005	17.02.2006	11.02.2006	Information not Available
9.	2x250 MW TPP II Stage Jindal Power Ltd.	08.06.2006	13.09.2006	Information not Available	Information not Available

निष्कर्ष

हमारा मानना है कि चाहते हुए भी बाहरी संस्थाओं के दबाव में सरकारें पर्यावरण के संरक्षण हेतु कारगर कदम उठा ही नही सकती एवं न ही उनमें इच्छा शक्ति बाकी है। दिन प्रति दिन बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने में यह EIA Notification 2006 किसी काम का नही है। अन्य संबंधित पर्यावरणीय कानून परिपालन के अभाव में पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण को रोकने एवं स्वस्थ्य पर्यावरण के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा के नाम पर बनाये गये केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सफेद हाथी) अपने स्थापना के औचित्य को ही समाप्त कर चूके हैं इसलिए इन्हें तत्काल बंद कर इन पर होने वाले अरबों रुपये देश के सबसे आखिरी छोर पर खड़े उन अशिक्षित, असहाय लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा देने में लगाने की ओर प्रयास करें ताकि उनके क्षेत्र में लगने वाले किसी भी प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने की स्वीकृति देने या न देने का निर्णय वे स्वयं अपने द्वारा अपने तरीके से तैयार की गई EIA रिपोर्ट के आधार पर करने में सक्षम हो। अपने विकास के साधन उन्हें स्वयं तय करने दें।

कानून अपने हाथ में लें

वरना ये खेत आपके अपने भी हो सकते हैं

अगर सरकारी अमला जिंदगियों को बेचने पर उतारू है तो प्रदूषण के जहरीले प्रभाव को खुद इकठ्ठा होकर रोकें

पर्यावरण को नष्ट होते देखना बुरी बात है, उसे बचाने के लिए कानून हाथ में लेना आपका अधिकार है और जिम्मेदारी भी

जन चेतना का जन जागरण अभियान